


29.5.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पसकार
उपस्थित। वकील वारी द्वारा प्रकरण में
आगे नहीं सामाना पादिह करते हुये।
प्रकरण नोट प्रेस किया। बाद नोट
प्रेस किये जाने से स्वीकृत किया
जाता है। पत्रावली केवल शुभकर है।


SDO

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Note
Pres
Riz
R